संख्या 43 / 1105 /चार-2015-82(वि0)/13

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन , लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद बदायूँ के डायट परिसर में आडिटोरियम -प्रेक्षागृह का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूँ के डायट परिसर में आडिटोरियम -प्रेक्षागृह का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 494.02 लाख की मूल्यांकित लागत प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 485.44 लाख आकलित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि रू0 80.00 लाख (रूपया अस्सी लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

(1) प्रायोजना पर नियमानुसार समस्त आवश्यकता वैधानिक आपत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) आगणन प्रतिवेदन के अनुसार सामान्य कुर्सी ऊचॉई के अतिरिक्त 1.20 मी0 कुर्सी तल की अतिरिक्त ऊँचाई स्टेज हेतु तथा बैठने की व्यवस्था सीढीदार होने के कारण प्रवेश कक्ष के कुर्सी तल की अतिरिक्त ऊँचाई 1.72 मी0 प्रस्तावित की गयी है। इसी प्रकार से प्रस्तावित प्रेक्षागृह में छत की अतिरिक्त ऊँचाई का भी प्राविधान लिया गया है। उक्त को यथावत अनुमन्य कर दिया गया है। परन्तु इन कार्य मदों हेतु प्रस्तावित छत की अतिरिक्त ऊँचाई तथा कुर्सी तल की अतिरिक्त ऊचाई की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण निदेशक, संस्कृति निदेशालय अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात ही इन मदों की लागत को अनुमन्य किया जाय।

(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय तथा कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ् कराया जाय।

(5) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, संस्कृति निदेशालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृति धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेगी , अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृत प्राप्त कर ली जाय।

4- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पूर्ण कर लिया जाय।

5- कार्य पूर्ण होने पर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक - आयोजनागत- 4202-शिक्षा , खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04- कला तथा संस्कृति - 800-अन्य व्यय-32-जनपद बदायूॅ में प्रेक्षागृह के निर्माण -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या- 43 / 1105 /चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, बदायूॅ।
3-वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 को इस निर्देश के साथ कि कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
6- महाप्रबन्धक जोन-7 उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 ,लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-6 , उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in